न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 19/2010

1 श्रीमती फुली बेवा घीसाराम आयु 43 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

2 कर्मवीर पुत्र घीसाराम आयु 13 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती फुली बेवा घीसाराम जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 सरबती बेवा गणपतराम आयु 78 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

2 मु. मणी पुत्री गणपतराम पत्नी भजनाराम आयु 53 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

3 मु. गीता पुत्री गणपतराम पत्नी हरिसिंह उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल हाल निवासी गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

4 मु. रिसाली पुत्री गणपतराम पत्नी लीलूराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

5 मु. बिमला पुत्री गणपतराम पत्नी चन्द्रा उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल हाल निवासी हुक्मा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

6 गायत्री पुत्री घीसाराम।

7 हवासिंह पुत्र गणपतराम समस्त जाति जाट निवासीगण लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

8 संतरा पत्नी भोलाराम।

9 श्रीमती बिमला पत्नी रामोतार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

10 श्रीमती नरेश देवी पत्नी कंवरसिंह।

11 श्रीमती राजबाला पत्नी अमीलाल समस्त जाति अहिर निवासीगण नूणी अवल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा।

12 उप पंजीयक महोदय खेतड़ी जिला झुंझुनू।

13 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2009
प्रकरण मुकदमा सरबती बनाम फुली मुकदमा नम्बर
368/2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

उपस्थिति :

1. श्री कमलेश, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजवीर बुड़ानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 368/2007 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम लोयल स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 31 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 127 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार गणपतराम पुत्र अर्जुन जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी था उक्त गणपतराम की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

इसके अतिरिक्त भूमि गत खसरा नम्बर 213,216,217,221 भी थी। भूमि गत खसरा नम्बर 31 रकबा 7 बीघा के हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 1.76 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 127 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 1.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 213,216 मीटर के 528 रकबा 0.69 हैक्टेयर, 217 के हाल खसरा नम्बर 531 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 221 के हाल खसरा नम्बर 534 रकबा 0.30 हैक्टेयर बने इस प्रकार उक्त भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 4.85 हैक्टेयर को उक्त गणपतराम अपने जीवन प्रयन्त खातेदार काश्तकार रहा व उसकी मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हुई उसकी मृत्यु पर वादीगण/रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 5 व अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 7 उत्तराधिकारी हुये। उपरोक्त पार्वती भूमि हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0. 05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.85 हैक्टेयर में आवेदिका/रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/7 रेस्पोडेंट नम्बर 2 का 1/7 हिस्सा, रेस्पोडेंट नम्बर 3 का 1/7 हिस्सा व रेस्पोडेंट 1 लगायत 5 का समस्त भूमि में 5/7 हिस्सा व 1/7 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 7 हवासिंह व 1/7 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के हित पूर्वक घीसाराम व उक्त घीसाराम की मृत्यु पर उसके 1/7 हिस्से में उसके उत्तराधिकारीगण वादीया संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उसकी पुत्री प्रतिवादीया संख्या 3 गायत्री इस प्रकार वादीया का विवादित भूमि में 1/7 की जगह 5/28 हुआ व प्रतिवादीगण 1 से 3 का 1/7 हिस्सा में 3/28 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का पूर्वज 1/7 हिस्सा बताकर उक्त अनुसार हिस्सा घोषित करवाने के लिये अदालत मातहत के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जिसे अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2009 के द्वारा अपीलांट को बिना सुने डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से धारा 5 के साथ अपील पेश की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में किया जाना बताया गया है परन्तु लोक अदालत में दोनों पक्षों अर्थात सभी पक्षों की सहमती से निर्णय किया जाता है परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलांट की सहमती नही ली गई नही राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये जो कि प्रकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। उक्त दावे के अदालत मातहत ने अपीलांट को न तो नोटिय दिये तथा अपीलांट की गलत तामील दिखाकर अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो खिलाफ कानून व पत्रावली है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने प्राथमिक डिकी की अपील नही की है केवल अन्तिम डिकी की अपील की है। अपीलांट इस निर्णय से किस प्रकार प्रभावित है। इसका अपील मेमों मे कोई अंकन नही किया है। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिकी एक पक्षीय जारी की गई है। अपीलांट ने इस एक पक्षीय आदेश को निरस्त करवाने के लिये कोई विधिक कार्यवाही नही की है। अपीलांट ने गुणावगुण पर बहस अथवा अपील मेमों में कोई कथन नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने प्राथमिक डिकी की अपील नही की है केवल अन्तिम डिकी की अपील की है। अपीलांट इस निर्णय से किस प्रकार प्रभावित है। इसका अपील मेमों मे कोई अंकन नही किया है। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिकी एक पक्षीय जारी की गई है। अपीलांट ने इस एक पक्षीय आदेश को निरस्त करवाने के लिये कोई विधिक कार्यवाही नही की है। अपीलांट ने गुणावगुण पर बहस अथवा अपील मेमों में कोई कथन नही

किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर